

प्रेषक

गन्ना आयुक्त, हरियाणा
पंचकूला।

प्रेषित

Chief Executive Officer,
Webmentors Software Technologies Pvt Ltd.,
SCO No. 36, Swastic Vihar, MDC,
Sector-5, Panchkula.

Memo No. **CC/ADO-II/2017/635**

Dated: - 6/2/17.

विषय:-

वर्ष 2016-17 के राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अभियान गन्ना योजना के मद गन्ने के साथ मिश्रित खेती व सिंगल बॅड चिप के रि-रिवाइज भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य किसान सूविधा पोर्टल पर संसोधित करने बारे।

सन्दर्भ:-

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक सी0सी0/एफ0/487 दिनांक 30.01.2017

वर्ष 2016-17 के राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अभियान गन्ना योजना के मद गन्ने के साथ मिश्रित खेती व सिंग बॅड चिप के रिवाइज भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य किसान सूविधा पोर्टल पर संसोधित करने हेतु भेजी जाती है जो निम्न प्रकार है:-

जिले का नाम	सहायक गन्ना विकास अधिकारी का नाम	पहले दिए गए लक्ष्य		संसोधित लक्ष्य	
		भौतिक (एकड़)	वित्तीय (रु०)	भौतिक (एकड़)	वित्तीय (रु०)
अम्बाला	नारायणगढ	55	1.76	55	1.76
यमुनानगर	यमुनानगर	270	8.64	270	8.64
करनाल	करनाल	65	2.08	95	3.04
	असंध	50	1.60	2	0.064
	भादसौ	55	1.76	73	2.336
	कुल	170	5.44	170	5.44
पलवल	पलवल	25	0.8	25	0.8
कुरुक्षेत्र	शाहाबाद	75	2.40	75	2.40
सोनीपत	सोनीपत	65	2.08	8	0.256
	गोहाना	55	1.76	112	3.584
	कुल	120	3.84	120	3.84
रोहतक	रोहतक	53	1.696	84	2.688
	महम	50	1.60	19	0.608
	कुल	103	3.296	103	3.296
जीन्द	जीन्द	50	1.6	50	1.6
कैथल	कैथल	21	0.672	21	0.672
पानीपत	पानीपत	60	1.92	60	1.92
फतेहाबाद	भूना	1	0.032	1	0.032
	कुल	950	30.40	950	30.40

[Handwritten Signature]
6/2/2017

अ0ग0आ0

कृते: गन्ना आयुक्त, हरियाणा,
पंचकूला।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा किसान भाईयो के लिए महत्वपूर्ण सूचना

NFSM (CC) Sugarcane योजना के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में गन्ना उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने हेतु गन्ने के साथ मिश्रित फसल व सिंगल बैंड चीप के 380 हैक्टेयर के प्रदर्शन प्लांटों का आयोजन किया जाएगा। किसान को प्रति एकड़ 2800 रुपये की दर से कृषि सामग्री हेतु सहायता अनुदान के रूप में किसान के खाते में जमा करवाया जाएगा। सहायक गन्ना विकास अधिकारी-वार लक्ष्य निम्न प्रकार है:-

(वर्ष 2016-17)

क्र० स०	सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय का नाम	भौतिक लक्ष्य (हैक्टेयर में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपये में)
1	शाहाबाद(कुरुक्षेत्र)	30	2.40
2	करनाल	24	1.92
3	पानीपत	24	1.92
4	सोनीपत	24	1.92
5	गोहाना (सोनीपत)	20	1.60
6	जीन्द	20	1.60
7	कैथल	20	1.60
8	रोहतक	20	1.60
9	महम(रोहतक)	20	1.60
10	भूना (फतेहाबाद)	6	0.48
11	पलवल	10	0.80
12	असंध (करनाल)	20	1.60
13	यमुनानगर	100	8.00
14	नारायणगढ (अम्बाला)	22	1.70
15	भादसों (करनाल)	20	1.60
	कुल	380	30.40

अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट www.agriharayana.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

